शासकीय भूमि के आबंटन संबंध में निर्देश जारी किये गए है। जिसके **बिन्दु कमांक 1.1 अनुसार जिला स्तर पर शासकीय भूमि आबंटन अतिकमित भूमि के व्यवस्थापन के आवेदनों का परिक्षण कर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित करने का प्रावधान है।**

बिन्दु कमांक 1.4 (क) अनुसार **कलेक्टर द्वारा ऐसी शासकीय भूमि जिसकी लोकबाधा/स्वास्थ्य/सुरक्षा/सुविधा/लोकप्रयोजन/पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता न हो, 7500 वर्गफुट तक भूमि आबंटन तथा ऐसी अतिकमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन किया जा सकेगा का प्रावधान किया गया है।**

अतएव नस्ती में संलग्न दस्तावेज एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अवलोकन एवं परिसिलन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री शेषनारायण जायसवाल एवं अतिरिक्त तहसीलदार श्री शशिभूषण सोनी तथा तत्कालीन संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर ने पद का दुरुपयोग करते हुए कालोनाईजर को शासकीय भूमि से नियम विरुद्ध रास्ता प्रदान कर शासन को राजस्व की क्षति कारित करने संबंध में की गई शिकायत सही पायी गई।

इस संबंध में श्री शशिभूषण सोनी अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर एवं श्री शेषनारायण जायसवाल तात्कालीन नायब तहसीलदार बिलासपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया। **श्री शशिभूषण सोनी** द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि "संदर्भित कारण बताओ सूचना पत्र के प्रथम पैरा में उल्लेख है कि रा०प्र०कं० 202310075300033 में आवेदक श्रीराम बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाइजर्स प्रा०लि० आशीष गुप्ता आ० रामनिवास गुप्ता ग्राम बहतराई तहसील व जिला बिलासपुर छ०ग० के सरकण्डा बहतराई सड़क मार्ग से लगकर शासकीय भूमि ख0नं0 294/1 रकबा 0.530 हे0 निजी भूमि 298, 299 से आवेदक के निजी भूमि ख0नं0 298/1 रकबा 0.1290 हे० ख0नं0 299/4 रकबा 0.134 हे0 को सम्मिलित करते हुए ख0नं0 293 पर आने-जाने हेतु 40 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध है। **प्रकरण में किसी भी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं** होने के कारण समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्तानुसार स्वतः स्पष्ट है कि प्रकरण में मेरे द्वारा अनाधिकृत किसी भी प्रकार का शासकीय भूमि का आबंटन या राजस्व अभिलेख में नाम चढाने संबंधित आदेश पारित नहीं किया गया है।

इसी प्रकार रा०प्र०क० 2023100753018 में आवेदक राज कंस्ट्रक्शन अर्जुन सिंह कछवाहा पिता शैलेन्द्र सिंह कछवाहा में ग्राम – बिरकोना म०नं० 1 तहसील व जिला बिलासपुर छ०ग० स्थित निजी भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा कमांक 1330/2 रकबा 0.279 हे० के सामने स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1331 के मूल स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए **आवेदक को शासकीय भूमि खसरा कमांक 1331 का उपयोग आवागमन हेतु किए जाने अनुमति दी गयी है।** इस प्रकरण में भी आवेदक के निजी भूमि स्वामी हक की भूमि के सामने स्थित शासकीय भूमि के मूल स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए केवल आवागमन उपयोग के निर्देश पर पृथक से बिना कोई आदेश पारित किए समक्ष में प्राप्त आवेदन का निराकरण किया गया है।